

पत्रांक: 797-ई/पालिसी/2018

RBENo-50/2018

दिनांक: .06.2018

NCRPS No. 5227/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि  
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।  
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।  
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (गवालियर)।  
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।

उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.  
प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रेक मशीन  
ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,  
सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झाँसी, सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,  
परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग  
सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली  
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।  
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

**Subject: Educational qualifications for recruitment/promotion of Post Graduate Teachers-Computer Science.**

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(PDA)I-2014/PS-5/PE-4 दिनांक 03.04.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

(V.P.Singh)

For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई— एससी—एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

23

**भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA**  
**रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)**

सं. ई(पीएंडए)-2014/पीएस-5/पीई-4

RBI-2018-652  
19-4-18

आरबीई सं. 50/2018  
नई दिल्ली, दिनांक 03.04.2018

महाप्रबंधक तथा प्रधान वित्त सलाहकार,  
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: कम्प्यूटर विज्ञान के लिए स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए शैक्षणिक अर्हता।

संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 22.02.2016 का समसंख्यक पत्र

\*\*\*\*\*

बोर्ड के दिनांक 22.06.2016 के समसंख्यक पत्र में रेलवे स्कूलों में कार्यरत स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई थी। बहरहाल, उल्लिखित पत्र में कम्प्यूटर विज्ञान अध्यापक (टीजीटी/पीजीटी) के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं की गई थी। यह मामला कुछ समय से विचाराधीन था।

2. अब यह विनिश्चय किया गया है कि अब से रेलवे स्कूलों में टीजीटी/पीजीटी (कम्प्यूटर विज्ञान) की भर्ती/पदोन्नति के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार होगी:

अनिवार्य:

निम्नलिखित में से किसी एक में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों:

1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) में स्नातक की डिग्री हो

अथवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक (बशर्ते मुख्य विषय के रूप में सभी वर्षों में कम्प्यूटर विषय की पढ़ाई की हो)


अथवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीई/बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) हो।

अथवा

किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और डीओईएसीसी, सूचना एवं संचार तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, से 'ए' स्तर का कोर्स किया हो।

टीजीटी (कम्प्यूटर विज्ञान)



प्र० मुकाधि०	✓
मुकाधि० (प्रशा०)	✓
मुकाधि० (आई० आर०)	✓
उप मुकाधि० (राज०)	✓
उप मुकाधि० (मुख्या०)	✓
उप मुकाधि० (आई० आर०)	✓
अध्यक्ष/रि०म०प्र०	✓
प्र० का० अधि० (राज०)	✓
प्र० का० अधि० (ओ०स०)	✓
प्र० का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधि० (आई० आर०)	✓
सकाधि० (भर्ती०)	✓
मु० कार्या० अधि०/कार्या० अधि०	✓

नोट: अन्यथा पूर्ण रूप से सुयोग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है, जिसका कारण लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा।

अनिवार्य:

निम्नलिखित में से किसी एक में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों:

20.4.18  
RBI


20.4.2018



<p>पीजीटी (कम्प्यूटर विज्ञान)</p>	<p>(i) बी.ई. अथवा बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान/आईटी) सहित कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डीओईसीसी संचार तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 'बी' अथवा 'सी' लेवल का डिप्लोमा हासिल किया हो + एक वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।  <b>अथवा</b>  (ii) स्नातकोत्तर विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान)/एमसीए + एक वर्ष का अध्यापन अनुभव।  <b>अथवा</b>  (iii) स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग अथवा एम. टैक (कम्प्यूटर विज्ञान (आईटी))।  <b>नोट:</b> तदनुसारी पदोन्नति के लिए पदधारियों को बी.एड अथवा समकक्ष होना होगा।</p>
-----------------------------------	---

3. उपर्युक्त आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।



(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/स्थापना (पी एंड ए)


रेलवे बोर्ड.

सं. ई(पीएंडए)-2014/पीएस-5/पीई-4

नई दिल्ली, दिनांक 05.04.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली -110001
13. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (रजि0), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

(5)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2014/PS-5/PE-4

RBE No. 50/2018  
New Delhi, Dated - 03.04.2018

The General Managers and Principal Financial Advisers,  
All Indian Railways & PUs.  
NCR, Allahabad

**Sub:-** Educational qualifications for recruitment/promotion of Post Graduate Teachers- Computer Science.

**Ref:-** Board's letter of even no. dated 22.02.2016.  
\*\*\*\*\*

The minimum qualifications for recruitment/promotion of Post Graduate Teachers working in Railway Schools have been laid down in Board's letter of even No. dated 22.06.2016. However, in the said letter minimum recruitment qualification for the post of Computer Science Teacher (TGT/PGTs) has not been prescribed. This issue was under consideration for some time.


2. It has now been decided that henceforth the essential minimum qualifications for recruitment/promotion of TGTs/PGTs (Computer Science) in Railway Schools will be as under:

TGT(Computer Science)	<p><b>Essential:</b></p> <p>At least 50% marks in aggregate in any of the following:</p> <p>1. Bachelors Degree in Computer Application (BCA) from a recognized university.</p> <p><b>OR</b></p> <p>Graduation in Computer Science from a recognized university. (provided that the computer science subject must be studied in all years as main subject)</p> <p><b>OR</b></p> <p>BE/B.Tech (Computer Science/information Technology) from a recognized university</p> <p><b>OR</b></p> <p>Graduation in any subject and 'A' level course from DOEACC, Ministry of Information &amp; Communication and Technology, Govt. Of India.</p> <p><b>Note:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>
-----------------------	--



<p>PGT(Computer Science)</p>	<p><u>Essential:</u></p> <p>At least 50% marks in aggregate in any of the following:</p> <p>(i) B.E or B.Tech (Computer Science/IT) plus Post Graduate Diploma in Computer Applications or B or C Level Diploma from Doeacc, Ministry of Communication and IT plus One Year Teaching Experience.</p> <p><b>Or</b></p> <p>(ii) M.Sc.(Computer science)/MCA plus One Year Teaching Experience.</p> <p><b>Or</b></p> <p>(iii) Master of Engineering or M.Tech (Computer Science/IT).</p> <p><b>Note:</b> For subsequent Promotion, the incumbent will have to acquire B.Ed or equivalent.</p>
------------------------------	--

3. The above order will take effect from the date of issue of this letter.
4. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.


  
 (N.P. Singh)  
 Jt. Director, E(P&A)  
 Railway Board.

**No. E(P&A)I-2014/PS-5/PE-4**

**New Delhi, Dated - 02.04.2018**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General FROA.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association, R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officers' Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
14. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

  
 for Secretary, Railway Board.